5

करदाता की कुल आय में शामिल की जाने वाली अन्य व्यक्तियों की आय

[INCOME OF OTHER PERSONS INCLUDED IN ASSESSEE'S TOTAL INCOME]

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)
इस अध्याय के पठन के पश्चात् आप सक्षम होंगे : ❑ यह पहचान करना कि कब मिलान के प्रावधान प्रभावित होंगे तथा कर निर्धारिती की कुल आय की गणना में इसे लागू करना। ❑ उन परिस्थितियों की जाँच करने में जब व्यक्ति की कुल आय की गणना करने के लिए उसकी आय में जीवनसाथी की आय को भी जोड़ा जाता है। ❑ उन परिस्थितियों को जानने में जब व्यक्ति की आय में पुत्रवधू की आय को भी शामिल किया जाएगा। ❑ अवयस्क की उन आयों की पहचान करने में जिनके सम्बन्ध में आय को मिलाने के प्रावधान लागू नहीं। ❑ यह जाँच करने में कि माता–पिता की आय में अवयस्क की आय कैसे शामिल होती है तथा कितनी राशि को शामिल किया जाएगा। ❑ यह जाँच करने में कि कौन–सी परिस्थितियों में हिन्दू अविभाजित परिवार की आय उसके सदस्य की आय में शामिल होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

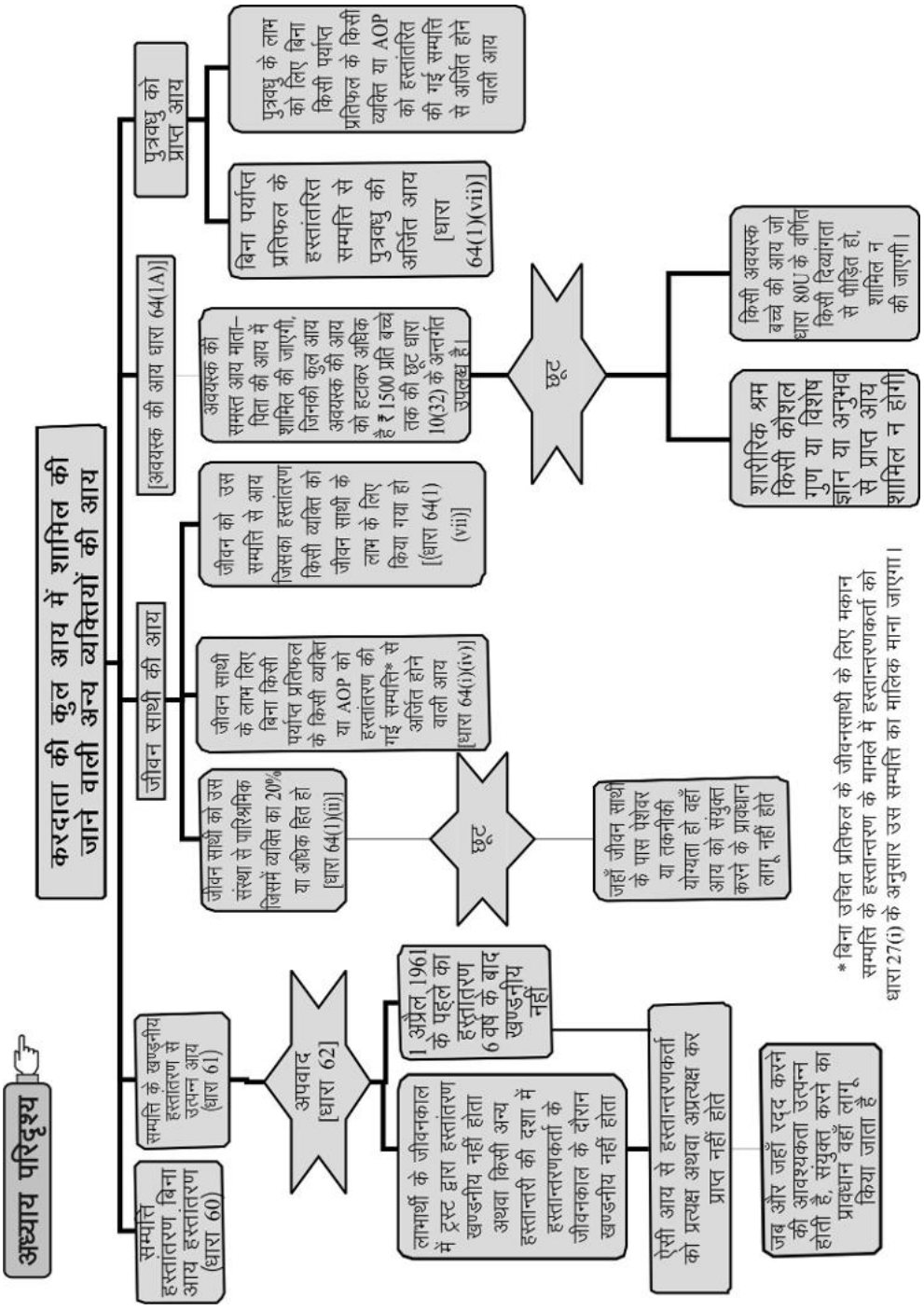

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. आयों को मिलाना–एक परिचय (Clubbing of Income—An Introduction)

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत करदाता पर सामान्य रूप से अपनी निजी आय पर कर लगाया जाता है। लेकिन, कुछ मामलों में उसे अन्य व्यक्ति की आय पर कर देना पड़ता है। इससे सम्बन्धित प्रावधानों को अधिनियम की धारा 60 से 64 में रखा गया है। इन प्रावधानों को करदाताओं की उस प्रवृत्ति का सामना करने के लिए रखा गया है जिसमें वे अपनी सम्पत्ति का विक्रय या आय का हस्तांतरण इस प्रकार करते हैं ताकि कर–दायित्व से बचा जा सके या उसे कम किया जा सके।

उदाहरण के लिए, व्यक्ति पर करारोपण आय के विभिन्न स्तरों के आधार पर लगता है। कर पद्धति प्रगतिशील होने का अर्थ है, जैसे–जैसे आय बढ़ती है, लागू दरें भी बढ़ती हैं। उच्च आय वर्ग के करदाता प्रायः अपनी आय का भाग अपने जीवनसाथी अवयस्क बच्चे आदि की कर–भार कम करने के उद्देश्य से बाँट देते हैं। ऐसी कर परिवर्जन से बचने के लिए आय को मिलाने सम्बन्धी प्रावधानों को अधिनियम में रखा गया है जिनके अन्तर्गत कर दायित्व की गणना करते समय बाँटी गई आय को भी उस व्यक्ति की आय में शामिल करते हैं जिसने ऐसा किया है।

2. करनिर्धारित की कुल आय में शामिल करने योग्य अन्य व्यक्तियों की आय (Income of Other Persons Includible in Assessee's Total Income)

2.1 बिना सम्पत्ति हस्तांतरण आय को हस्तांतरित करना (धारा 60) [Transfer of Income without Transfer of Asset (Section 60)]

(i) यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित सम्पत्ति के हस्तांतरण के बिना आय को हस्तांतरित कर देता है तो ऐसी आय को हस्तांतरित की आय में शामिल किया जाएगा।

(ii) यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हस्तांतरण खण्डनीय है या अखण्डनीय और यह कि हस्तांतरण इस अधिनियम के पहले किया गया था या इसके पश्चात्।

उदाहरणार्थ श्रीमान A अपने मकान के किराये का अधिकार अपनी पत्नी को दे देते हैं, परन्तु श्रीमती A मकान को खुद हस्तांतरित नहीं करती। इस मामले में पत्नी द्वारा प्राप्त किराये को A की आय में जोड़ा जाएगा।

उदाहरण (Illustration) 1

श्रीमान वासन ने पंजीकृत प्रलेख के द्वारा अपने गोदाम को हस्तांतरित किए बगैर उसकी आय को अपने पुत्र को हस्तांतरित किया है। गोदाम का यह किराया किसकी आय के रूप में कर योग्य होगा?

हल (Solution)

धारा 60 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सम्पत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण हस्तांतरक की आय में शामिल होगा अतः गोदाम से प्राप्त किराया श्रीमान वासन की आय में ही शामिल होगा।

2.2 सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण से उदित आय (धारा 61) [Income Arising from Revocable Transfer of Assets (Section 61)]

सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण से उदित आय हस्तांतरक की आय कुल आय में शामिल होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

खण्डनीय हस्तान्तरण का अर्थ [धारा 63] [Meaning of revocable transfer (Section 63)]

हस्तांतरण खण्डनीय होगा यदि–

(a) यदि हस्तांतरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सम्पूर्ण या आय के किसी भाग या सम्पत्ति का पुनः हस्तांतरण हस्तांतरक को करने का प्रावधान हो, या

(b) इससे हस्तांतरक को आय या सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को पुनः वापस प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है।

यह मिलान का प्रावधान तब भी लागू होगा जब सम्पत्ति के किसी भाग का हस्तांतरण हस्तांतरक के लाभार्थ किया गया हो। एक बार हस्तांतरण के खण्डनीय होने पर हस्तांतरित सम्पत्ति की समस्त आय हस्तांतरक की कुल आय में शामिल होगी।

वे अपवाद जब सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण होते हुए भी आय को मिलाने के प्रावधान लागू नहीं होंगे (धारा 62) [Exceptions where Clubbing Provisions are not Attracted Even in Case of Revocable Transfer (Section 62)]

निम्नलिखित दो मामलों में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर धारा 61 लागू नहीं होगी–

(i) **हस्तांतरण लाभार्थी या हस्तांतरिती के जीवनकाल में यदि खण्डनीय ना हो** (Transfer not revocable during the life time of the beneficiary or the transferee)— यदि हस्तांतरण इस प्रकार का है कि वह हस्तांतरिती के सम्पूर्ण जीवनकाल में खण्डनीय न हो तथा किसी और हस्तान्तरण की दशा में तो हस्तांतरित सम्पत्ति से प्राप्त आय हस्तांतरक की कुल आय में शामिल नहीं होगी बशर्ते कि हस्तांतरक ऐसी आय से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ न उठाए।

यदि हस्तांतरक ऐसी आय से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता है तो ऐसी आय सम्पत्ति के जीवनकाल में अखण्डनीय हस्तांतरण होते हुए भी उसकी आय में शामिल होगी।

(ii) **यदि हस्तांतरण 1 अप्रैल, 1961 से पूर्व का हो तथा 6 वर्ष से अधिक समय तक अखण्डनीय हो** (Transfer made before April 1, 1961 and not revocable for a period exceeding six years)—01.04.1961 से पूर्व हस्तांतरित सम्पत्ति की आय जो 6 वर्ष से अधिक की अवधि में खण्डनीय न हो, तो ऐसी आय हस्तांतरक की आम में शामिल न होगी बशर्ते कि उसमें ऐसी आय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ न लिया हो।

ऊपर वर्णित दोनों ही मामलों में जैसे ही हस्तांतरण खण्डन की शक्ति मिलने पर ऐसे हस्तांतरण से उदित आय हस्तांतरक की कुल आय में शामिल हो जाएगी।

3. व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित दूसरे व्यक्तियों की आय (Income of other Persons Includible in Individual's Total Income)

3.1 जीवन साथी की अर्जित आय को मिलाना (Clubbing of Income arising to Spouse)

(I) ऐसी संस्था में पारिश्रमिक से आय जिसमें व्यक्ति का सारवान हित हो [धारा 64 (1) (ii)] [Income by way of remuneration from a concern in which the individual has substantial interest [Section 64(1)(ii)]

(i) **इकाई से जीवन साथी के लिए वस्तु या नकद में प्रतिफल जिसमें व्यक्ति की पर्याप्त रुचि हो, मिल जाएगी** : किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने के लिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

उसके जीवन साथी को ऐसी संस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त वेतन, कमीशन, फीस या अन्य कोई पारिश्रमिक जिसमें उसका सारवान हित हो, चाहे नकद या अन्य किसी रूप में उदित हो तो वह उसकी कुल आय में शामिल होगी।

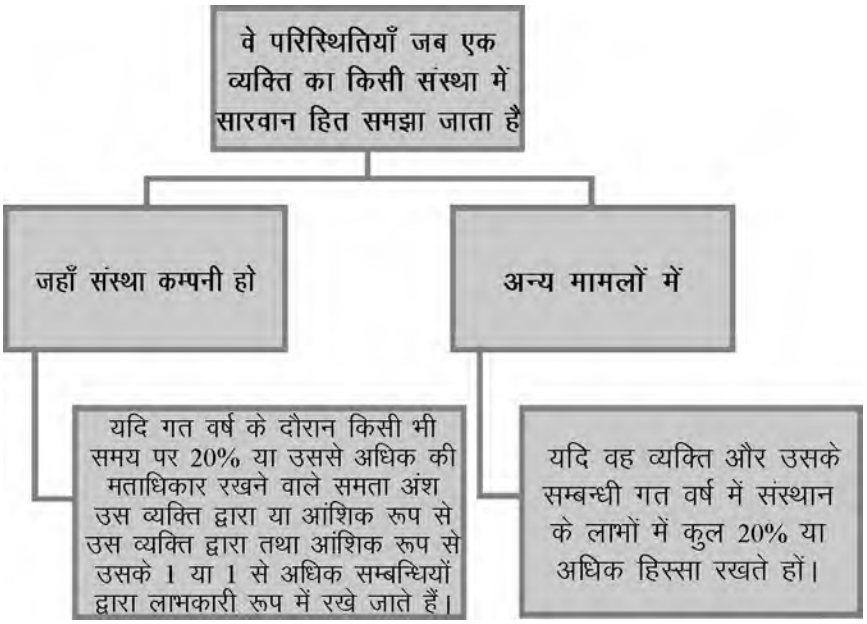

व्यक्ति के मामले में सम्बन्धी शब्द का तात्पर्य उस व्यक्ति के पति, पत्नी, भाई, बहिन या अन्य नजदीकी पूर्वज या वंशज से है।

(ii) **संयुक्त करने का प्रावधान वहाँ इस्तेमाल नहीं होगा जहाँ पारिश्रमिक तकनीकी या पेशेवर योग्यता से प्राप्त हो**–लेकिन यह प्रावधान वहाँ लागू नहीं होगा यदि जीवन साथी के पास तकनीकी या पेशेवर योग्यता हो और ऐसी आय जीवन साथी के तकनीकी या पेशेवर ज्ञान के प्रयोग से हो। ऐसी हालत में, यह आय जीवन साथी के नाम में ही कर योग्य होगी।

(iii) **यदि संस्था में पति व पत्नी दोनों का सारवान हित हो**–यदि किसी संस्था में पति व पत्नी दोनों का सारवान हित हो तो ऐसी संस्था से प्राप्त वेतन इत्यादि उस जीवन साथी की आय में शामिल होगी जिसकी आय ऐसी आय को छोड़कर अधिक हो।

जहाँ ऐसी आय जीवन साथी की सम्पूर्ण आय में एक बार शामिल की गई हो, तो अगले वर्षों में दूसरे जीवन साथी की आय में शामिल न होगी जब तक कि कर निर्धारण अधिकारी उस जीवन साथी को सुनने के बाद सन्तुष्ट न हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है।

उदाहरण (Illustration) 2

श्रीमान् A के पास 25% मतदान शक्ति है X लि. में। श्रीमती A, X लि. में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं जहाँ उनका वेतन ₹ 30,000 प्रतिमाह है किन्तु वे अपने कार्य की योग्यता नहीं रखती। श्रीमान् A एवं श्रीमती A की अन्य आय क्रमशः ₹ 7,00,000 तथा ₹ 4,00,000 है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सकल आय की गणना कीजिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हल (Solution)

श्रीमान A X लि. के कर्मचारी हैं तथा 25 % अंश होने के कारण कम्पनी में सारवान हित रखते हैं। उनकी पत्नी भी कम्पनी में बिना पर्याप्त योग्यता के उसी कम्पनी में कर्मचारी हैं। अतः आय मिलान प्रावधानों के तहत श्रीमती A को X लि. से प्राप्त वेतन श्रीमान A को आय में शामिल किया जाएगा।

श्रीमान A की सकल कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
श्रीमती A का प्राप्त वेतन (₹ 30,000 × 12)	3,60,000	
मानक कटौती धारा 16 (ia) के अन्तर्गत	50,000	3,10,000
अन्य आय		7,00,000
सकल कुल आय		**10,10,000**

श्रीमती A की सकल कुल आय ₹ 4,00,000 होगी।

उदाहरण (Illustration) 3

यदि श्रीमती A पर्याप्त योग्यता रखती हों तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा?

हल (Solution)

यदि श्रीमती A के पास पर्याप्त योग्यता हो तो आय मिलान सम्बन्धी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

श्रीमान A की सकल कुल आय = ₹ 7,00,000 (अन्य आय)

श्रीमती A की सकल कुल आय = श्रीमती A का कुल वेतन (₹ 30,000 × 12) कम धारा 16 (ia) के अन्तर्गत मानक कटौती ₹ 50,000 के साथ अन्य आय (₹ 4,00,000 = ₹ 7,10,000)

उदाहरण (Illustration) 4

श्रीमान B, Y लि. में 30% मतदान शक्ति रखते हैं श्रीमती B, Y लि. में लेखाकार (accountant) की तरह कार्यरत हैं जो कि बिना लेखाकार की योग्यता के ₹ 3,44,000 वेतन (गणनीय) आय की तरह प्राप्त करती हैं। श्रीमान B ₹ 30,000 प्रतिभूति (Securities) पर ब्याज की तरह प्राप्त करते हैं। श्रीमती B के पास एक गृह सम्पत्ति है जिसको उन्होंने किराये पर दिया है, किरायेदार से ₹ 6,000 प्रतिमाह प्राप्त करती हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्रीमान तथा श्रीमती B की सकल आय की गणना कीजिए ?

हल (Solution)

क्योंकि श्रीमती B कार्य के लिए पर्याप्त योग्यता धारी नहीं हैं, अतः आय मिलान प्रावधान लागू होंगे।

श्री B की सकल कुल आय की गणना

विवरण	₹
श्रीमती B की वेतन से आय	3,44,000
अन्य स्रोतों से आय	
– प्रतिभूति पर ब्याज	30,000
	3,74,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

श्रीमती B की सकल कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन से आय		शून्य
(श्रीमान B की आय में शामिल)		
मकान सम्पत्ति से आय		
सकल वार्षिक मूल्य (₹ 6,000 × 12)	72,000	
घटाया : निगम कर भुगतान	—	
शुद्ध वार्षिक मूल्य (NAV)	**72,000**	
***घटाएं* : धारा 24 के अन्तर्गत कटौती**		
– NAV का 30% अर्थात् ₹ 72,000 का 30%	21, 600	
–ऋण पर ब्याज	—	50,400
सकल कुल आय		**50,400**

(II) बिना पर्याप्त प्रतिफल के जीवन साथी को हस्तांतरित सम्पत्ति से उदित आय [धारा 64(1) (iv)] [Income arising to the spouse from an asset transferred without adequate consideration {Section 64(1)(iv)}]

(i) **सम्पत्ति का हस्तांतरण (मकान सम्पत्ति से अन्य)** : जहाँ किसी सम्पत्ति का मकान सम्पत्ति से भिन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक जीवन साथी से दूसरे जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल या अलग रहने के समझौते के तहत हस्तांतरण हो अन्यथा पर्याप्त प्रतिफल के लिए या पृथक् होते हुए एक अनुबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सम्पत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय हस्तांतरक की आय में शामिल की जाएगी।

(ii) **गृह सम्पत्ति का हस्तांतरण** : मकान सम्पत्ति के हस्तांतरण सम्बन्धी प्रावधान धारा 27 में दिए गए हैं। यदि व्यक्ति अपनी मकान सम्पत्ति को बिना पर्याप्त प्रतिफल या अलग रहने के अनुबन्ध के अलावा अनुबन्ध के तहत अपने जीवन–साथी को हस्तांतरित करता है तो हस्तांतरक को ही मकान सम्पत्ति का स्वामी समझा जाएगा तथा उसका वार्षिक मूल्य उसकी आय में कर योग्य होगा।

(iii) **हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय में अनुवृद्धि** : यह उल्लेखनीय है कि हस्तांतरित सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हस्तांतरक की आय में शामिल न होगी अर्थात्

केवल हस्तांतरित सम्पत्ति से आय का ही मिलान किया जाएगा। लेकिन ऐसी आय के विनियोग (हस्तांतरित सम्पत्ति से उदित) से आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) **पर्याप्त प्रतिफल का अर्थ** : यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्राकृतिक प्रेम व स्नेह पर्याप्त प्रतिफल का पर्याय नहीं होते। अतः जहाँ पर्याप्त प्रतिफल के बिना सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो, ऐसी सम्पत्ति की आय को हस्तांतरक की आय में शामिल किया जाएगा।

(v) **व्यवसाय में निवेशित हस्तान्तरित सम्पत्ति** : जब सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में हस्तान्तरी द्वारा निवेश

© The Institute of Chartered Accountants of India

किया जाता है। ऐसे निवेश से अर्जित अनुपातिक आय हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में की जाती है। यदि निवेश विनियोग पूँजीगत प्रकृति का है तो पूंजी पर आनुपातिक ब्याज हस्तांतरण की आय में शामिल होगा।

ऐसे अनुपात की गणना **गत वर्ष के प्रथम दिन कुल** व्यावसायिक विनियोग में किए गए विनियोग के अनुपात के आधार पर की जाएगी या किसी व्यवसाय संघ में भागीदार द्वारा पूँजीगत विनियोग के लिए उस दिन हस्तान्तरी द्वारा जैसी भी दशा हो।

उदाहरण (Illustration) 5

श्रीमान वैभव ने 01.04.2018 को ₹ 5 लाख से एकल व्यापार शुरू किया। 2018-19 में उसे ₹ 2,00,000 की हानि हुई। जिससे उबरने के लिए उसकी पत्नी वैशाली, जो सोफ्टवेयर इंजीनियर है, ने उसे 01.04.2019 को 5 लाख का उपहार दिया जिसे श्रीमान वैभव ने तुरन्त व्यवसाय में विनियोजित कर दिया उसने 2019-20 में ₹ 4 लाख का लाभ कमाया। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्रीमती वैशाली की मिलाने वाली राशि की गणना कीजिए। अगर यह राशि वैशाली ऋण के रूप में देती हैं, तो संयुक्त राशि क्या होगी ?

हल (Solution)

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64(1)(iv) के अनुसार व्यक्ति की आय में उन सम्पत्तियों (मकान सम्पत्तियों से भिन्न) के हस्तांतरण से उदित आय को शामिल करते हैं जो व्यक्ति द्वारा अपने जीवनसाथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल या अलग रहने के अनुबन्ध के अलावा हस्तांतरित की गई हों।

इस मामले में वैभव को 1.4.2019 को ₹ 5 लाख का उपहार उसकी पत्नी द्वारा दिया गया जिसे तत्काल वैभव ने व्यवसाय में लगा दिया। श्रीमती वैशाली की 2020-21 A. Y. में संयुक्त की गई आय की निम्न प्रकार गणना की जाएगी :

विवरण	श्रीमान वैभव की पूँजी (₹)	श्रीमती वैशाली के उपहार से पूँजी अंशदान (₹)	कुल (₹)
01.04.2019 को पूँजी	3,00,000 (5,00,000 – 2,00,000)	5,00,000	8,00,000
गतवर्ष 2019-20 का लाभ वर्ष के प्रथम दिन को विनियोजित पूँजी के आधार पर आवण्टन (3 : 5)	1,50,000 $\left(4,00,000 \times \frac{3}{8}\right)$	2,50,000 $\left(4,00,000 \times \frac{5}{8}\right)$	4,00,000

अतः श्रीमती वैशाली की आय में A.Y. 2020-21 के लिए शामिल आय ₹ 2,50,000 होगी।

यदि श्रीमती वैशाली ने ₹ 5,00,000 का ऋण यथार्थ में दिया हो तो आय को मिलाने सम्बन्धी प्रावधान लागू न होंगे।

ध्यान दें : धारा 56(2)(X) के प्रावधान श्रीमान वैभव के सम्बन्ध में लागू न होंगे क्योंकि उन्होंने ₹ 50,000 से अधिक की राशि अपनी पत्नी से बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(III) जीवन–साथी के लाभार्थ सम्पत्ति का हस्तांतरण [धारा 64 (1) (vii)] [Transfer of Assets for the Benefit of Spouse {Section 64(1)(vii)}]

बिना पर्याप्त प्रतिफल किसी भी सम्पत्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को हस्तांतरण हस्तांतरक की आय में उस सीमा तक शामिल किया जा सकेगा जितना ऐसी आय का प्रयोग हस्तांतरिती या हस्तान्तरक के जीवन साथी के तुरन्त या स्थगित लाभ हेतु किया गया हो।

3.2 पुत्रवधू द्वारा प्राप्त आय का मिलान (Clubbing of Income arising to Son's Wife)

(I) ससुर या सास के द्वारा पुत्रवधू को बिना पर्याप्त प्रतिफल हस्तांतरित सम्पत्ति की उदित आय [धारा 64(1) (vi)] [Income Arising to Son's Wife from the Assets Transferred without Adequate Consideration by the Father-in-law or Mother-in-law {Section 64(i) (vi)}]

(i) **सम्पत्ति हस्तान्तरण बिना पर्याप्त प्रतिफल** : जब किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्रवधू को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति का हस्तांतरण बिना पर्याप्त प्रतिफल के किया हो तो ऐसी सम्पत्ति से आय को हस्तांतरक की कुल आय में शामिल करना होगा।

(ii) **व्यवसाय में निवेशित सम्पत्ति हस्तान्तरण** : इस उद्देश्य के लिए जहाँ सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पुत्रवधू को किया हो तथा उसे हस्तांतरित द्वारा व्यवसाय में विनियोजित किया हो तो ऐसे विनियोग से आनुपातिक आय को हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाएगा। यदि विनियोग पूँजी के अंशदान के रूप में हो तो पूँजी पर आनुपातिक ब्याज हस्तांतरक की आय में शामिल होगा।

इस अनुपात की गणना पूर्व में बताए गए विनियोग के मूल्य का गत वर्ष के प्रथम दिन को कुल विनियोग मूल्य जो हस्तांतरिती की कुल पूँजी के मूल्य से अनुपात होगा उस के आधार पर होगी।

(II) पुत्रवधू के लाभार्थ सम्पत्ति का हस्तांतरण [धारा 64(1)(viii)] [Transfer of Assets for the Benefit of Son's Wife {Section 64(1)(viii)}]

उस समस्त आय को जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अर्जित कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण बिना पर्याप्त प्रतिफल किया हो, उसे उतना ही हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाएगा जितना पुत्रवधू के तात्कालिक या स्थगित लाभ के लिए हस्तांतरित किया हो।

नोट : जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को बिना प्रतिफल या बिना उचित प्रतिफल के हस्तान्तरित होती है, 56(2)(x) के प्रावधान हस्तान्तरी के लिए प्रभावित होगी, यदि इसके तहत निर्दिष्ट शर्तें संतुष्ट होंगी।

उदाहरण (Illustration) 6

श्रीमती कस्तूरी ने अपनी अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण ABC कम्पनी लि. को इस शर्त के साथ किया कि किराए की आय से ₹36,000 प्रति माह पुत्रवधू के लाभार्थ प्रयोग होगा।

श्रीमती कस्तूरी का दावा है कि ₹ 36,000 की राशि को उसकी आय में न जोड़ा जाए क्योंकि यह सम्पत्ति अब उसके स्वामित्व में नहीं है।

कारण बताते हुए निर्णय करें कि कस्तूरी का दावा वैधानिक है अथवा नहीं?

© The Institute of Chartered Accountants of India

हल (Solution)

सम्पत्ति के ऐसे हस्तांतरण के मामले में जहाँ तुरन्त पर्याप्त प्रतिफल के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पुत्र के तुरन्त लाभार्थ या स्थगित लाभार्थ किया गया हो, वहाँ धारा 64(1)(viii) के प्रावधान लागू होते हैं। ऐसी आय को हस्तांतरक व्यक्ति की आय में मिलाया जाएगा।

अतः इस मामले में पुत्रवधू के लाभार्थ ₹ 36,000 की आय पर हस्तान्तरणकर्ता द्वारा कर देय होगा जो कि श्रीमती कस्तूरी स्वयं है।

कस्तूरी का दावा कानूनन वैध नहीं है।

***ध्यान दें** : धारा 64 (1) (viii) के प्रयुक्त प्रावधानों के लागू होने के लिए सम्पत्ति का हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के बिना होना चाहिए। इस मामले में यह माना गया है कि हस्तांतरण बिना पर्याप्त प्रतिफल के किया गया है, अतः आय को मिलाने सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, धारा 56(2)(x) के प्रावधान ABC कम्पनी लि. के लिए प्रभावित होंगे, स्टाम्प यदि मूल्य ₹ 50,000 से अधिक हो अथवा इसमें निर्दिष्ट शर्तें सन्तुष्ट होंगी।*

यदि यह मान लिया जाए कि हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले में था तो उक्त प्रावधान धारा 64 (1)(viii) लागू न होंगे।

3.3 अवयस्क की आय को मिलाना [धारा 64 (1A)] [Clubbing of Minor's Income {Section 64(1A)}]

(i) अवयस्क की समस्त आय माता–पिता की आय में शामिल होगी।

(ii) लेकिन अवयस्क द्वारा अर्जित ऐसी आय जो उसके शारीरिक श्रम, कौशल, प्रतिभा या विशिष्ट ज्ञान या अनुभव के बदौलत हो उसे माता–पिता की आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

(iii) अवयस्क की आय को उस माँ या बाप की आय में जोड़ेंगे जिसकी कुल आय अवयस्क की आय के बिना अधिक हो।

(iv) एक बार जिस अभिभावक (माता या पिता) की आय से अवयस्क की आय जोड़ दी जाती है वो आने वाले वर्षों में उसी के साथ जुड़ी रहेगी। कर निर्धारण अधिकारी माँ बाप को सुनने का अवसर देकर अन्य माँ या बाप की आय में जोड़ सकता है, यदि ऐसा करना उसकी सन्तुष्टि के लिए आवश्यक हो।

(v) जहाँ माँ–बाप एक साथ न रहते हो तो अवयस्क की आय उस माँ या बाप की आय में जुड़ेगी जो प्रांसगिक वर्ष में उसका भरण–पोषण करता हो।

(vi) लेकिन धारा 80 U में वर्णित दिव्यांगताओं से पीड़ित अवस्यक की आय को माता–पिता की आय में न जोड़कर अवयस्क की आय ही माना जाएगा।

(vii) यह उल्लेखनीय है कि अन्य को मिलाने सम्बन्धी प्रावधान अवयस्क विवाहित बेटी के मामले में भी लागू होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अवयस्क की आय को मिलाने के सम्बन्ध में छूट [धारा 10(32)] [Exemption in respect of clubbed income of minor {Section 10(32)}]

यदि किसी व्यक्ति (अर्थात् माँ–बाप) की आय में अवयस्क की आय धारा 64(1A) के अनुरूप शामिल हो तो ऐसे माता–पिता को प्रत्येक अवयस्क बच्चे के लिए ₹ 1500 की छूट उपलब्ध होगी। लेकिन यदि अवयस्क की आय ₹ 1500 से कम है तो संपूर्ण आय कर मुक्त होगी।

उदाहरण (Illustation) 7

श्रीमान A के तीन अवयस्क बच्चे हैं : दो जुड़वां पुत्री व एक पुत्र। पुत्रियों की प्रति पुत्री आय ₹ 2000 वार्षिक तथा पुत्र की ₹ 1200 वार्षिक है अवयस्क बच्चों की श्रीमान A की आय में शामिल योग्य आय की गणना करें।

हल (Solution)

अवयस्क बच्चों की श्रीमान A की आय में शामिल योग्य आय होगी

विवरण	₹	₹
जुड़वा अवयस्क पुत्रियाँ [₹ 2000 × 2]	4,000	
घटाएं : धारा 10 (32) अनुसार छूट [₹ 1,500×2]	3,000	1,000
अवयस्क पुत्र	1,200	
घटाएं : धारा 10 (32) में कर छूट	1,200	शून्य
श्रीमान A की आय में शामिल योग्य आय		**1,000**

उदाहरण (Illustration) 8

निम्नलिखित सूचना से श्रीमान A व श्रीमती A की कुल आय निकालिए :

	विवरण	*₹*
(a)	*श्रीमती A की वेतन आय (निर्धारित)*	*2,30,000*
(b)	*श्रीमान A पेशे से आय*	*3,90,000*
(c)	*अवयस्क पुत्र B की कम्पनी निक्षेप से आय*	*15,000*
(d)	*अवयस्क पुत्री C की विशेष प्रतिभा से आय*	*32,000*
(e)	*c द्वारा अपनी विशिष्ट प्रतिभा से प्राप्त बैंक जमा ब्याज*	*3,000*
(f)	*30. 09. 2019 को श्रीमान A के दोस्त से C को प्राप्त उपहार*	*2,500*

गणना संक्षिप्त करें। आपके विभिन्न शीर्षक के अन्तर्गत गणना जरूरी नहीं है।

हल (Solution)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1A) के अन्तर्गत अवयस्क की समस्त आय उस माँ या बाप की आय में शामिल होगी जिसकी आय अवयस्क की आय को छोड़कर अधिक हो। श्रीमान A की आय ₹ 3,90,000 तथा श्रीमती A की आय ₹ 2,30,000 है क्योंकि श्रीमान A की आय अधिक है, श्रीमती A से अतः अवयस्क बच्चों की आय श्रीमान A की आय में शामिल होगी। यह मानते

© The Institute of Chartered Accountants of India

हुए कि आय शामिल करने का यह प्रथम वर्ष है। अवयस्क बच्चे की कौशल प्रतिभा या विशिष्ट ज्ञान या अनुपम से सृजित आय को शामिल नहीं करते। अतः अवयस्क बच्चे C की आय को नहीं जोड़ा जा सकता।

लेकिन बैंक जमा से प्राप्त ब्याज को जोड़ा जाएगा बावजूद जमा राशि प्रतिभा से अर्जित आय होने पर भी।

श्रीमती A की सकल कुल आय ₹ 2,30,000 है। धारा 64(1A) के प्रावधानों के अनुरूप श्रीमान A की कुल आय निम्नानुसार है :

A.Y 2020-21 की श्रीमान A की सकल कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
पेशे से आय		3,90,000
अवयस्क पुत्र B की कम्पनी जमा से आय	15,000	
घटाएँ : धारा 10 (32) के अन्तर्गत छूट	1,500	13,500
अवयस्क पुत्री C की आय		
विशिष्ट प्रतिभा से–शामिल नहीं होगी		
बैंक से ब्याज	3,000	
गैर सम्बन्धी से ₹ 2,500 का उपहार धारा 56 (2) (x)		
के अन्तर्गत ₹ 50,000 से कम होने के कारण कर योग्य नहीं	शून्य	
	3,000	
घटाएँः धारा 10 (32) के अन्तर्गत छूट	1,500	1,500
सकल कुल आय		**4,05,000**

4. वर्णसंकर हस्तान्तरण (Cross Transfers)

वर्णसंकर हस्तांतरणों के मामले में (उदाहरणार्थ, अपने भाई B की पत्नी को मकान क्रय के लिए ₹ 50,000 का उपहार तथा इसके बदले B द्वारा A के अवयस्क पुत्र को अपने स्वामित्व की विदेषी कम्पनी ने ₹ 50,000 के अंशों का उपहार) हस्तांतरित सम्पत्तियों से आय कर निर्धारण मान्य हस्तांतरण के नाम में होगा। यदि हस्तांतरण अति नजदीकी से सम्बन्धित है जैसे एक ही लेन–देन के भाग हों और प्रत्येक हस्तांतरण दूसरे का प्रतिफल है क्योंकि आपसी सूझ–बूझ पर या आय किसी प्रकार परस्पर है। अतः प्रस्तुत मामले में हस्तांतरण A व B द्वारा उन व्यक्तियों को किए गए हैं जो उनके जीवन–साथी या अवयस्क बच्चे नहीं हैं ताकि इस धारा के प्रावधानों से बचा जा सके जिससे प्रतीत हो कि ऐसे हस्तांतरण एक–दूसरे का प्रतिफल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने C.I.T. *v/s* केशव जी मोरारजी [1967] 66 ITR 142 वाले मामले में कहा है कि यदि दो लेन–देन अन्तर्सम्बन्धित हैं और एक ही लेन–देन के ऐसे हिस्से हैं कि यह कहा जा सके कर बचाने के उद्देश्य से चक्रीय विधि का सहारा लिया गया है तो आय को मिलाने के प्रावधान लागू होंगे। तदनुसार श्रीमती B को उदित आय B की आय में व A के अवयस्क बच्चे को

© The Institute of Chartered Accountants of India

हस्तांतरित अंशों का लाभांश A की आय में कर योग्य होगा क्योंकि A व B अपनी आय प्रदान करने वाली सम्पत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरक हैं। ताकि कर का बोझ कम किया जा सके।

उदाहरण (Illustration) 9

श्रीमान वासुदेवन ने ₹ 6 लाख की राशि दिनांक 14-06-2019 को अपने भाई की पत्नी को उपहार में दी 12-07-2019 को उसके भाई ने वासुदेवन की पत्नी को ₹ 5 लाख का उपहार दिया। उपहार दी हुई राशि को बैंक में वासुदेवन की पत्नी ने तथा वासुदेवन के भाई की पत्नी ने स्थायी जमा के रूप में 01-08-2019, 9% ब्याज पर निवेश कर दिया। उपर्युक्त के प्रभावों का आय कर की धाराओं के अन्तर्गत श्रीमान वासुदेवन व उनके भाई के करारोपण के संदर्भ में वर्णन करें।

हल (Solution)

प्रदत्त मामले में, श्रीमान वासुदेवन ने अपने भाई की पत्नी को ₹ 6 लाख की राशि 14.06.2019 को तथा साथ–साथ उसके भाई ने श्रीमान वासुदेवन की पत्नी को 12.07.2019 को ₹ 5 लाख उपहार स्वरूप भेंट किए। श्रीमती वासुदेवन तथा उनके भाई की पत्नी ने राशियों को बैंक में स्थायी जमा के रूप में विनियोग कर दिया। ये हस्तांतरण वर्णसंकर प्रकृति के हैं तदनुसार, हस्तांतरित सम्पत्तियों से आय मान्य हस्तांतरण की होगी क्योंकि हस्तांतरण या अन्यथा होने के कारण प्रत्येक दूसरे का प्रतिफल है।

यदि दो लेन–देन अन्तर्सम्बन्धित हैं और एक ही लेन–देन के इस प्रकार के हिस्से हैं कि उनको कर वचना हेतु अंजाम दिया गया है तो आय को मिलाने के प्रावधान लागू होंगे। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने C. I T *v/s* केशव मोरारजी (1967) 66 I.T.R. 142 के मामले में दिया था।

तदनुसार, श्रीमती वासुदेवन को उदित ब्याज की आय वासुदेवन की कुल आय में तथा ब्याज की आय जो वासुदेवन के भाई की पत्नी को उदित है, वह वर्णसंकर होने की सीमा तक अर्थ तक ₹ 5 लाख के ब्याज तक वासुदेवन के भाई की कुल आय में जुड़ेगी।

ऐसा इसलिए है कि वासुदेवन व उनके भाई दोनों ही अप्रत्यक्ष हस्तांतरक हैं जिन्होंने एक–दूसरे के जीवन साथी को हस्तांतरण कर–भार कम करने के लिए किया है।

लेकिन जीवन साथी द्वारा अर्जित ₹ 5 लाख के स्थायी जमा की ब्याज ही वासुदेवन के भाई की कुल आय में जुड़ेगी न कि ₹ 6 लाख के ब्याज की राशि क्योंकि वर्णसंकर हस्तांतरण की सीमा केवल ₹ 5 लाख है।

5. स्व–अर्जित सम्पत्ति का हिन्दू–अविभाजित परिवार सम्पत्ति में रूपान्तरण [धारा 64 (2)] [Conversion of Self-Acquired Property into the Property of a Hindu Undivided Family {Section 64(2)}]

धारा 64(2) में स्व–अर्जित सम्पत्ति का हिन्दू अविभाजित परिवार सम्पत्ति में रूपान्तरण का मामला आता है।

(i) यदि एक व्यक्ति जो HUF का सदस्य है, 31-12-1969 के पश्चात अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को HUF की सम्पत्ति में रूपान्तरित करता है। जिसका वह सदस्य है ऐसी सम्पत्ति को साझे स्टॉक में दे देता है या अन्य किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित HUF को करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में जोड़ी जाती रहेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) जब रूपांतरित सम्पत्ति का विभाजन किया गया हो चाहे पूर्णतः या अंशतः तो ऐसी रूपांतरित सम्पत्ति से आय जो विभाजन के बाद जीवन–साथी को प्राप्त होती है। उसे उस व्यक्ति के जीवन साथी को उदित माना जाएगा और परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल होगी जिसने ऐसा रूपान्तरण किया है।

(iii) जहाँ रूपान्तरित सम्पत्ति की आय को व्यक्ति की आय में शामिल किया गया हो तो धारा 64(2) के अनुसार ऐसी आय को परिवार या जीवन साथी की आय से अलग कर दिया जाएगा।

6. आय में सम्मिलित हानि (Income Includes Loss)

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि धारा 64 के स्पष्टीकरण 2 के अनुरूप आय में हानि को भी शामिल किया गया है। तदनुसार, यदि व्यक्ति की आय में शामिल की जाने वाली विशिष्ट हानि है। तो उसकी कुल आय की गणना करते समय हानि को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह स्पष्टीकरण धाराओं 64 (1) व 64 (2) दोनों के प्रावधान आय को मिलाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

7. धारा 61 व धारा 64 में अन्तर (Distinction between Section 61 and Section 64)

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दो धाराओं में मुख्य अन्तर कि धारा 61 किसी व्यक्ति द्वारा किए खण्डनीय हस्तांतरण के सम्बन्ध में लागू है जबकि धारा 64 केवल व्यक्तियों द्वारा किए गए खण्डनीय व अखण्डनीय हस्तांतरणों के सम्बन्ध में लागू है।

नोट : यह ध्यान दिया जा सकता है कि क्लबों के प्रावधान हस्तांतरित सम्पत्तियों से उत्पन्न होने वाली आय के सम्बन्ध में आकर्षित होते हैं, हालांकि नाबालिग बच्चे के मामले को छोड़कर हस्तांतरित सम्पत्तियों से उत्पन्न होने वाली आय पर होने वाली अभिवृद्धि आय को नहीं रखा (clubbed) जायेगा। उदाहरण के लिए श्री A ने 10% ब्याज वाले ₹ 50,000 के डिबेंचर अपनी पत्नी को हस्तान्तरित किए। ₹ 5,000 की ब्याज की आय श्री X के हाथों में रखी जायेगी। हालांकि उसकी पत्नी ₹ 5,000 को @8% पर सावधि जमा में जमा करती है ऐसे मामले में FDR पर उत्पन्न ₹ 400 की ब्याज आय को श्री X के हाथों में नहीं रखा जायेगा।

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) **1**

श्रीमान शर्मा के दो पुत्रियाँ व दो पुत्र हैं। पुत्रियों की आय वार्षिक ₹ 9000, ₹ 4,500 तथा लड़कों की ₹ 6,200, ₹ 4,300 वार्षिक है। जिस पुत्री की आय ₹ 4,500 है वह धारा 80 U में वर्णित दिव्यांगता से पीड़ित है। अवयस्क बच्चों की आय जो श्रीमान शर्मा की आय में शामिल योग्य हो उसकी गणना कीजिए।

उत्तर (Answer)

धारा 64 (1A) के अनुरूप किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने के लिए अवयस्क बच्चों की आय व्यक्ति की आय में शामिल होती है। लेकिन दिव्यांग अवयस्क की आय जोकि धारा 80U में वर्णित दिव्यांगता में आता है। माँ–बाप की आय में शामिल न होकर दिव्यांग अवयस्क के नाम

© The Institute of Chartered Accountants of India

में ही कर योग्य होगी। इसलिए इस मामले में दिव्यांग बच्चे जो धारा 80U में वर्णित दिव्यांगता से पीड़ित हैं की आय श्रीमान शर्मा की आय में शामिल न होगी।

धारा 10 (32) के अन्तर्गत माँ–बाप की आय में शामिल योग्य प्रत्येक अवयस्क बच्चे की आय धारा 64 (1A) के अनुसार ₹ 1500 या वास्तविक आय इनमें जो कम हो, कर मुक्त होगी। शेष आय माँ–बाप की आय में शामिल की जाएगी।

श्रीमान शर्मा की आय में शामिल योग्य अवयस्क बच्चों की आय की गणना :

	विवरण	₹
(i)	एक पुत्री की आय	9,000
	घटाएं : धारा 10 (32) में कर मुक्त आय	1,500
	कुल A	7,500
(ii)	दो पुत्रों की आय (₹ 6,200 + ₹ 4, 300)	10,500
	घटाएँ : धारा 10(32) में कर मुक्त आय (₹ 1500 + ₹ 1500)	3,000
	कुल B	7,500
	कुल आय जो धारा 64(1A) **में शामिल योग्य है।** (A+B)	**15,000**

ध्यान दें : यह माना गया है कि :

(1) सभी चार बच्चे अवयस्क हैं;

(2) अवयस्क बच्चों की आय का उपार्जन या उदय किसी शारीरिक श्रम या अन्य क्रिया जिसमें किसी कौशल, प्रतिभा या ज्ञान व अनुभव के उपयोग से नहीं हुआ है;

(3) श्रीमान शर्मा की आय अवयस्क बच्चों की आय को जोड़े जाने से पहले श्रीमती शर्मा की आय से अधिक है जिसके कारण अवयस्क बच्चों की आय उनकी आय में शामिल होगी; और

(4) आय को मिलाने सम्बन्धी प्रावधानों के लागू होने का यह प्रथम वर्ष है।

प्रश्न (Question) **2**

गत वर्ष 2019-20 में निम्न लेन–देन श्रीमान शर्मा के सम्बन्ध में हुए

(a) श्रीमान शर्मा की स्थायी जमा ₹ 5 लाख की बैंक ऑफ इंडिया में है। उन्होंने बैंक को निर्देशित किया कि 1.04.2019 से 31.3.2020 का जमा पर 9% ब्याज उसके भाई के पुत्र B के खाते में उसकी शिक्षा हेतु क्रेडिट किया जाए।

(b) श्रीमान शर्मा एक साझेदारी फर्म में 75% के हिस्सेदार हैं। श्रीमती शर्मा को विक्रय संवर्द्धन हेतु ₹25,000 कमीशन मिला। श्रीमती शर्मा के पास कोई तकनीकी या पेशेवर योग्यता नहीं है।

(c) 1 अप्रैल, 2019 को शर्मा जी ने श्रीमती शर्मा को फ्लैट उपहार में दिया। 2019-20 गत वर्ष में मकान सम्पत्ति से श्रीमती शर्मा की आय ₹ 52,000 थी।

(d) A ने ₹ 2 लाख अपने अवयस्क पुत्र को उपहार दिए जिन्हें उसने व्यवसाय में निवेश करने से ₹20,000 आय प्राप्त की।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) A के अवयस्क बच्चे ने अपने कौशल व प्रतिभा के उपयोग से ₹ 20,000 की आय अर्जित की।

वर्ष के दौरान A ने ₹ 10,000 मासिक पेंशन ली। उसकी अन्य कोई आय नहीं थी। श्रीमती A ने ₹ 20,000 मासिक वेतन अंशकालीन कार्य से प्राप्त की।

प्रत्येक लेन–देन के सम्बन्धी प्रभाव का आकलन करते हुए श्रीमान A श्रीमती A व उनके अवयस्क बच्चे की कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर (Solution)

श्रीमान A, श्रीमती A व उनके अवयस्क बच्चे की कुल आय की गणना A.Y. 2020-21

विवरण	श्रीमान A (₹)		श्रीमती A (₹)	अवयस्क पुत्र (₹)
वेतन से आय				
वेतन आय (श्रीमती A)		–	2,40,000	–
पेंशन आय (श्री A की) (₹ 10,000 × 12)		1,20,000		
घटाएँ : धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती		50,000	50,000	
		70,000	1,90,000	
मकान सम्पत्ति से आय		52,000	–	–
[नीचे नोट 3 देखें]				
अन्य स्रोत को आय			–	–
श्री A के स्थायी जमा पर ब्याज (₹ 5,00,000 × 9%)				
[नीचे नोट (1) देखें]	45,000		–	–
श्रीमती A को साझेदारी फर्म से प्राप्त कमीशन, जिसमें श्री A का सारवान हित है (नोट 2 देखें)	25,000	70,000		
अवयस्क पुत्र की आय को जोड़ने से पूर्व आय धारा 64(1A)		**1,92,000**	**1,90,000**	
अवयस्क पुत्र की व्यवसाय हेतु श्री A द्वारा उपहार में दी गयी राशि (नोट (4) देखें)		18,500	–	–
अवयस्क पुत्र की अपने कौशल प्रतिभा के प्रयोग से आय (नोट 5 देखें)		–	–	20,000
कुल आय		**2,10,500**	**1,90,000**	**20,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोटस :

(1) धारा 60 के अन्तर्गत सम्पत्ति हस्तांतरण के बिना आय का हस्तांतरण जिससे आय उत्पन्न हुई है ऐसी आय को हस्तांतरक की आय माना जाएगा। अतः A द्वारा B को स्थायी जमा का हस्तांतरण पर ₹ 45,000 ब्याज A की आय में जुड़ेगा।

(2) धारा 64 (1) (ii) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जीवन–साथी उस फर्म से आय प्राप्त करता है जिसमें उस व्यक्ति का सारवान हित हो (अर्थात 20% या अधिक वोटिंग पावर के अंश या 20% लाभों में हिस्सेदारी) तो ऐसी आय व्यक्ति की आय में जुड़ेगी। इसका अपवाद केवल यह है कि यदि ऐसी आय जीवन–साथी की तकनीकी या पेशेवर योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है तो आय को मिलान सम्बन्धी प्रावधान लागू न होंगे।

इस मामले में ₹ 25,000 का कमीशन A की कुल आय में जुड़ेगा क्योंकि श्रीमती A के पास कोई तकनीकी या पेशेवर योग्यता नहीं है तथा A का साझेदारी फर्म में सारवान हित है, क्योंकि 75% लाभ के लिए A हिस्सेदार है।

(3) धारा 27 (i) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी मकान सम्पत्ति को बिना पर्याप्त प्रतिफल या अलग रहने के अनुबन्ध के अलावा अपने जीवन–साथी को हस्तांतरित करता है, तो उसे मकान का स्वामी समझा जाएगा। श्रीमती A के उपहार में दिए गए फ्लैट के मालिक श्रीमान होंगे अतः उससे उत्पन्न आय A की आय में शामिल होगी।

ध्यान दें : धारा 56(2) (x) के प्रावधान श्रीमती A के मामले में लागू न होंगे क्योंकि उसने बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपने पति से अचल सम्पत्ति प्राप्त की है।

(4) धारा 64(1A) के अवयस्क की आय उस माँ–बाप की आय में शामिल होगी जिसकी आय (अवयस्क की आय को हटाकर) अधिक हो। इसके अलावा धारा 10(32) के अनुरूप जुड़ने वाली आय में से ₹ 1,500 प्रति बच्चा कर मुक्त आय होगी।

इसलिए श्रीमान A द्वारा उपहार में दी गई निवेश राशि से ₹ 20,000 अवयस्क की आय में से ₹ 1500 घटाने के पश्चात A की आय में जुड़ेगी क्योंकि श्रीमान A की आय 2,02,000 (अवयस्क बच्चे की आय जोड़ने से पहले) श्रीमती A की आय ₹ 2,00,000 से अधिक है। अतः ₹ 18,500 (20,000 – 1,500) A की आय में जुड़ेंगे। यह माना गया है कि आय को मिलाने का यह प्रथम वर्ष है।

ध्यान दें : धारा 56 (2) (x) के प्रावधान यहाँ अवयस्क पुत्र के लिए लागू न होंगे क्योंकि उसने अपने पिता से ₹ 50,000 से अधिक की राशि बिना पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त की है।

(5) ऐसी आय के मामले में जो अवयस्क को अपने कौशल या प्रतिभा के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है, तो ऐसे अवयस्क बच्चे की आय माँ–बाप की आय में शामिल नहीं होगी बल्कि अवयस्क स्वयं की आय के रूप में कर योग्य होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अतः A के अवयस्क पुत्र द्वारा अर्जित ₹ 20,000 की आय जो उसके कौशल को व्यवसाय में उपयोग करने से हुई है, उसे माँ–बाप की आय में नहीं जोड़ कर ऐसी आय स्वयं अवयस्क पुत्र की आय में कर योग्य होगी।

प्रश्न (Question) **3**

A ने 50 लाख की मकान सम्पत्ति अपनी पत्नी श्रीमती B को उपहार में दी जिसने बदले में उसी को अपनी पुत्रवधू श्रीमती C को उपहार में दे दी। मकान पूरे वर्ष भर ₹ 25,000 प्रतिमाह के किराये पर रहा । A व श्रीमती C की कुल आय की गणना कीजिए।

क्या आपका उत्तर अलग होगा अगर यही मकान अपने पुत्र अर्थात् श्रीमती C के पति को उपहार में देते?

उत्तर (Answer)

धारा 27(i) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मकान सम्पत्ति का हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के बिना अलग रहने के अनुबन्ध के बिना अपने जीवन–साथी को करता है तो हस्तांतरक को ही मकान का स्वामी माना जाएगा।

अतः इस मामले में A के मकान सम्पत्ति का मान्य स्वामी होगा क्योंकि श्रीमती B को हस्तांतरण बिना प्रतिफल के किया गया है।

धारा 64(1) (vi) के अनुरूप पुत्रवधू को उदित आय जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति हस्तांतरण बिना प्रतिफल प्राप्त हुई है, उसे व्यक्ति की कुल आय में जोड़ना होगा।

किराए पर प्रदत्त मकान की ₹ 2,10,000 (अर्थात ₹ 25,000 प्रतिमाह की दर से ₹ 3,00,000 का किराया जिसमें घटाव ₹ 90,000) जोकि 30% कटौती धारा 24 के अन्तर्गत मान्य है।

इस मामले में श्रीमती 'C' की उदित आय जो कि ₹ 2,10,000 मकान के किराये से प्राप्त होती है धारा 27(i) एवं धारा 64(1)(vi) के प्रावधानों के अनुसार श्रीमान A के बेटे की पत्नी की तरह, श्रीमान A की आय में सम्मिलित होगी श्रीमती C की आय कर योग्य नहीं है।

यदि मकान सम्पत्ति का हस्तांतरण श्रीमान A के पुत्र को हुआ होता तो आय को मिलाने सम्बन्धी प्रावधान लागू न होते क्योंकि पुत्र अवयस्क नहीं है। अतः उस हालत में ₹ 2,10,000 की आय पुत्र के नाम में कर–योग्य होती ।

यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि धारा 56(2)(x) के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होंगे क्योंकि सम्पत्ति की प्राप्ति दोनों ही मामलों में सम्बन्धी से हुई है। अतः सम्पत्ति का स्टाम्प ड्यूटी मूल्य अचल सम्पत्ति के प्राप्तकर्ता के नाम में कर–योग्य नहीं होगा चाहे सम्पत्ति उसे बिना प्रतिफल के मिली हो।

ध्यान दें : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर सीधे धारा 64(1)(vi) के प्रावधानों का प्रयोग करके दिया जा सकता है जिसमें श्रीमती C को उदित ₹ 2,10,000 की आय को A की आय में जोड़ लिया जाए (अर्थात् धारा 27 (i) के प्रावधानों को लगाए बिना जिसमें बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरण

© The Institute of Chartered Accountants of India

A को ही स्वामी माना जाएगा। क्योंकि धारा 64(1)(vi) में पुत्रवधू को अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से आय को मिलाने का प्रावधान है। A द्वारा C को B के रास्ते मकान का हस्तांतरण अप्रत्यक्ष रूप से A द्वारा श्रीमती C को किया गया है।

प्रश्न (Question) **4**

श्रीमती रानी ने 2016 में एकल व्यापार शुरू किया 01.04.2017 को उसकी पूँजी ₹ 3 लाख थी। 1.4.2018 को व्यवसाय में उसकी पूँजी ₹ 3,00,000 थी।

उसके पति ने 10.04.2018 को ₹ 2 लाख उपहार में दिये जिन्हें उसने उसी तारीख में व्यवसाय में लगा दिया। रानी ने सकल व्यवसाय से 2018-19 में ₹ 1,50,000 व 2019-20 में ₹ 3,90,000 का लाभ अर्जित किया। रानी के पति की आय में जोड़ी जाने वाली राशि की गणना A.Y. 2020-21 के लिए कारणों सहित कीजिए।

उत्तर (Answer)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल अपनी सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन साथी को हस्तांतरित करता है तो उसकी आय में हस्तांतरित सम्पत्ति की आय जुड़ेगी। रानी ने अपने पति से ₹ 2 लाख उपहार लेकर व्यवसाय में निवेश किए A.Y. 2020-21 के लिए श्रीमती रानी के पति की कुल आय की गणना इस प्रकार है :

विवरण	श्रीमती रानी का पूँजी अंशदान	पति के उपहार में से पूँजी अंशदान	कुल
	₹	₹	₹
01.04.2018 को पूँजी	3,00,000		3,00,000
10.04.2018 को पति के उपहार से प्राप्त निवेश		2,00,000	2,00,000
	3,00,000	2,00,000	5,00,000
वित्त वर्ष 2018-19 के लाभ का गतवर्ष के प्रथम दिन (1.4.2018) पूँजी के आधार पर आवंटन	1,50,000		1,50.000
01.04.2019 के पूँजी निवेश	**4,50,000**	**2,00,000**	**6,50,000**
F.Y.2019-20 के प्रथम दिन 1.4.2019 को पूँजी निवेश के आधार पर लाभ का आवंटन (अर्थात 45:20)	2,70,000	1,20,000	3,90,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

अतः रानी के पति की आय में जोड़ी जाने वाली A.Y.2020-21 की आय ₹ 1,20,000 होगी।

प्रश्न (Question) **5**

श्रीमान B एक HUF के कर्ता हैं जिसके सदस्य निम्न आय प्राप्त करते हैं :

	विवरण	*₹*
(i)	*B के पेशे से आय*	*45,000*
(ii)	*B का फैशन डिजाइनर के रूप में वेतन*	*76,000*
(iii)	*अवयस्क पुत्र (D स्थायी जमा पर ब्याज जो उसके चाचा ने उपहार में जमा कराई थी)*	*10,000*
(iv)	*अवयस्क पुत्री P की खेल से आय*	*95,000*
(v)	*D की लॉटरी से आय (सकल)*	*1,95,000*

श्रीमान B व श्रीमती B की कर देयता का विवरण दीजिए।

उत्तर (Answer)

आय को मिलाना व अन्य कर प्रभाव

धारा 64(1A) के अनुरूप यदि अभिभावकों की शादी अस्तित्व में हो तो माँ–बाप की आय में अवयस्क बच्चों की आय माँ व बाप में से उसकी आय में जुड़ेगी जिसकी आय अवयस्क बच्चे की आय को छोड़ते होते हुए) अधिक है। इस प्रश्न में यह माना गया है कि श्रीमान B तथा श्रीमती B की शादी अस्तित्व में है।

इसके अतिरिक्त अवयस्क बच्चों की वह आय जो उनके मैनुअल काम कौशल, प्रतिभा, ज्ञान या अनुभव के प्रयोग से हो, उसे माँ–बाप की आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

कर प्रभाव (Tax implications)

(i) श्रीमान B की पेशे से ₹ 45,000 की आय व्यवसाय व पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत B के नाम में कर योग्य होगी।

(ii) ₹ 26,000 की वेतन (₹ 76,000 घटाव 50,000 की मानक कटौती धारा 16(ia) के अन्तर्गत) श्रीमती B को कर योग्य प्राप्त होगी "वेतन" शीर्षक में।

(iii) स्थायी जमा पर आय ₹ 10,000 की अवयस्क बच्चे D की आय श्रीमती B के नाम में "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक में कर–योग्य होगी क्योंकि इस आय को छोड़कर श्रीमान B की आय श्रीमती B की आय से अधिक है।

धारा 10 (32) में माँ–बाप की आय में शामिल योग्य अवयस्क की आय में से प्रति बच्चा ₹ 1,500 कर मुक्त होंगे। शेष आय अभिभावक की आय में "अन्य स्रोतों से आय शीर्षक" में कर योग्य होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) पुत्री P की खेलों से आय ₹ 95,000 माँ–बाप की आय में शामिल नहीं होगी क्योंकि वह पुत्री के कौशल के प्रयोग से उदित हुई है।

(v) अवयस्क पुत्र D को लॉटरी से आय ₹ 1,95,000 श्रीमान B की आय में शामिल होगी "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत क्योंकि श्रीमान B की आय श्रीमती B की आय से अधिक है अवयस्क पुत्र की आय जोड़ने से पहले।

ध्यान दें : श्रीमती B लॉटरी की आय से अपनी शुद्ध कर देयता की गणना करते समय स्रोत पर कर कटौती में कमी कर सकती हैं।

आओ दोहराएँ
(LET US RECAPITULATE)

धारा	जोड़ी जाने वाली	विषय–वस्तु
60	सम्पत्ति के हस्तांतरण के बिना आय हस्तांतरण	जब कोई व्यक्ति सम्पत्ति का हस्तांतरण किए बिना उससे उपार्जित आय का हस्तांतरण करता है तो ऐसी आय हस्तांतरक की आय में शामिल होगी चाहे हस्तांतरण खण्डनीय हो या अखण्डनीय।
61	सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांरतण से उदित आय	ऐसी आय को हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाएगा यदि इसमें कोई हस्तांतरण खण्डनीय होगा– (i) सम्पत्ति या इसके किसी हिस्से की आय या सम्पत्ति का पुनः हस्तांतरक को हस्तांतरित करने सम्बन्धी प्रावधान हो; या (ii) सम्पूर्ण सम्पत्ति या आय या इनके किसी हिस्से को वापस लेने के अधिकार से सम्बन्धित प्रावधान हो
64(1)(ii)	जीवन साथी को उस संस्था से उदित पारिश्रमिक जिसमें व्यक्ति का सारवान हित हो।	जीवन साथी की ऐसी आय को व्यक्ति की आय में शामिल करना होगा। लेकिन यदि पारिश्रमिक जीवन साथी की अपनी तकनीकी, पेशेवर ज्ञान व अनुभव के कारण प्राप्त हो तो ऐसी आय नहीं जुड़ेगी।
64(1)(iv)	जीवन–साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल हस्तांतरित सम्पत्ति से उदित आय	एक जीवन–साथी द्वारा दूसरे जीवन साथी को सम्पत्ति (मकान सम्पत्ति को छोड़कर) हस्तांतरण बिना पर्याप्त प्रतिफल या अलग रहने के अनुबन्ध के अलावा से प्राप्त आय को हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		लेकिन यह प्रावधान मकान सम्पत्ति के मामले में लागू नहीं है क्योंकि धारा 27 के अन्तर्गत हस्तांतरक जीवन साथी इसका मान्य स्वामी होगा।
64(1)(vi)	बिना पर्याप्त प्रतिफल हस्तांतरित सम्पत्ति से पुत्रवधू को उदित आय	बिना पर्याप्त प्रतिफल हस्तांतरित सम्पत्ति से पुत्रवधु को उदित आय को हस्तांतरक की कुल आय में जोड़ा जाएगा।
64(1)(vii)/ 64(1)(viii)	जीवन–साथी या पुत्रवधू के लाभार्थ के लिए सम्पत्ति हस्तांतरण से उदित आय	किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठन की समस्त ऐसी आय हस्तान्तरक की आय में शामिल होगी जो बिना पर्याप्त प्रतिफल के हैं। जो कि हस्तान्तरक के जीवन साथी अथवा पुत्रवधू के तत्काल या आस्थगित लाभ, के लिए हस्तान्तरी द्वारा आय का प्रयोग किया गया हो।
	पुत्र वधु के लाभ के लिए बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के किसी व्यक्ति या AOP को हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से अर्जित होने वाली आय	
64(1A)	अवयस्क की आय	अवयस्क संतान को अर्जित या उपार्जित समस्य आय (अवयस्क विवाहित पुत्री सहित) उसके माता पिता की कुल आय में सम्मिलित होंगी। अवयस्क संतान की आय उसके माता–पिता की आय में शामिल होगी, जिसकी कुल आय, अवयस्क संतान की आय से शामिल करने से पहले, अधिक होती है। माता–पिता, जिनकी कुल आय में अवयस्क संतान या संतानों की आय शामिल होगी, वह धारा 10(32) के तहत अधिकतम ₹ 1500 प्रति संतान छूट प्राप्त करेगा। लेकिन निम्न प्रकार की अवयस्क आय माँ–बाप की आय में शामिल न होगी– (a) अवयस्क द्वारा शारीरिक श्रम, प्रतिभा, कौशल ज्ञान या अनुभव के आधार पर अर्जित आय; और (b) ऐसे अवयस्क की आय जो धारा 80 U में वर्णित दिव्यांगता से पीड़ित हो।
धारा 64(2)	स्वयं क्रय सम्पत्ति का हिन्दू अविभाजित परिवार की	यदि कोई HUF का सदस्य स्वयं की सम्पत्ति का रूपान्तरण HUF की सम्पत्ति में जिसका वो सदस्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

	सम्पत्ति में रूपान्तरण	हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना पर्याप्त प्रतिफल करता है तो ऐसी सम्पत्ति से आय को व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाएगा।
		यदि रूपान्तरित सम्पत्ति का पूर्ण या आंशिक विभाजन किया गया हो तो ऐसी विभाजित सम्पत्ति से जीवन साथी को प्राप्त आय हस्तांतरक/विभाजक/रूपान्तरक की आय में जोड़ा जाएगा।
ध्यान दें : धारा 64 के स्पष्टीकरण के अनुसार आय में हानि शामिल है। अतः उपर्युक्त समस्त मामलों में आय को मिलाने सम्बन्धी प्रावधान आय के स्थान पर हानि हो तब भी लागू होंगे।		

स्वयं ज्ञान की जाँच करें
(TEST YOUR KNOWLEDGE)

1. *धारा 80U में वर्णित दिव्यांगता से पीड़ित अवयस्क संतान की आय :*
   - *(a) अवयस्क संतान के नाम में कर योग्य होगी*
   - *(b) उस माँ या बाप की आय में शामिल होगी जिसकी कुल आय अवयस्क की आय को जोड़ने से पूर्व, अधिक हो*
   - *(c) पूर्णतया कर मुक्त होगी*
   - *(d) पिता की कुल आय में जुड़ेगी*
2. *विवाहित अवयस्क पुत्री की उदित आय :*
   - *(a) विवाहित अवयस्क पुत्री के नाम में कर–योग्य होगी*
   - *(b) उस माँ या बाप की आय में शामिल होगी जिसकी आय ऐसी आय को छोड़कर अधिक हो*
   - *(c) पूर्णतया कर मुक्त*
   - *(d) पति की आय में शामिल होगी*
3. *HUF के सदस्य द्वारा बिना पर्याप्त प्रतिफल स्वयं क्रय की गई सम्पत्ति को संयुक्त परिवार सम्पत्ति में रूपान्तरित सम्पत्ति से आय :*
   - *(a) हस्तांतरक सदस्य की आय के रूप में कर निर्धारण*
   - *(b) HUF के नाम में कर निर्धारण*
   - *(c) HUF के कर्ता के नाम में कर निर्धारण*
   - *(d) कर मुक्त*
4. *यदि रूपान्तरित सम्पत्ति का विभाजन परिवार के सदस्यों में किया गया हो तो जीवन साथी को प्राप्त ऐसी सम्पत्ति से आय कर योग्य होगी–*
   - *(a) हस्तांतरक सदस्य की आय के रूप में*
   - *(b) HUF के कर्ता की आय के रूप में*

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) *HUF की आय के रूप में*

(d) *हस्तांतरक के जीवन–साथी की आय के रूप में*

5. *धारा 10(32) के अन्तर्गत अवयस्क संतान की आय को माँ–बाप की कुल आय में जोड़ने के सम्बन्ध में कुछ राशि (शामिल आय से अधिक नहीं) जहाँ अवयस्क की आय शामिल है तक कर मुक्ति उपलब्ध है। अधिकतम उपलब्ध छूट है–*

(a) *प्रति अवयस्क संतानों ₹ 1,500 तक*

(b) *अधिकतम दो संतानों तक प्रत्येक अवयस्क संतान के सम्बन्ध में ₹ 1,500 तक*

(c) *प्रति अवयस्क ₹ 2,000 तक*

(d) *प्रति अवयस्क संतान अधिकतम दो बच्चों तक ₹ 2,000*

6. *श्रीमान A ₹ एक लाख की राशि अपने भाई की पत्नी B को उपहार में देते हैं श्रीमान B ₹ एक लाख श्रीमती A को देते हैं। श्रीमती B उपहार में ली गई राशि का निवेश स्थायी जमा में करके ₹ 10,000 ब्याज के रूप में आय प्राप्त करती हैं। उक्त ₹ 10,000 किसकी कुल आय में शामिल होंगे–*

(a) *श्रीमान A*

(b) *श्रीमती A*

(c) *श्रीमती B*

(d) *श्रीमान B*

7. *अवयस्क को प्राप्त छात्रवृत्ति :*

(a) *अवयस्क के नाम में कर–योग्य होगी*

(b) *उस माँ या बाप के नाम में कर योग्य होगी जिसकी कुल आय (छात्रवृत्ति को छोड़कर) अधिक है*

(c) *पूर्णतया कर मुक्त*

(d) *पिता की कुल आय में शामिल*

8. *छात्रवृत्ति की आय से स्थायी जमा पर अवयस्क संतान की आय :*

(a) *अवयस्क की आय में कर–योग्य*

(b) *माँ या बाप जिसकी आय अधिक हो, की कुल आय में कर योग्य*

(c) *पूर्णतया कर मुक्त*

(d) *पिता की कुल आय में शामिल*

9. *श्रीमान X किराए से प्राप्त ₹ 51,000 की राशि अपने वयस्क पुत्र को बिना मकान हस्तांतरित किए जिससे किराया प्राप्त हुआ है, हस्तांतरित करते हैं, यह राशि :*

(a) *हस्तांतरक पिता की कुल आय में कर योग्य*

(b) *पुत्र की आय में कर योग्य*

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) *उस माँ या बाप में कर योग्य जिसकी कुल आय अधिक हो*

(d) *कर–मुक्त*

10. *स्थायी जमा पर अवयस्क विवाहित पुत्री की आय :*

(a) *अवयस्क के नाम में कर योग्य*

(b) *अधिक आय वाले माँ या बाप की आय में शामिल योग्य*

(c) *पूर्णतया कर–मुक्त*

(d) *पति की आय के साथ कर–योग्य*

11. *श्री मित्तल के 4 अवयस्क बच्चे हैं जिनमें तीन पुत्रियाँ व एक पुत्र है। सभी बच्चों की आय निम्नानुसार है–A.Y. 2020-21*

विवरण	*₹*
प्रथम पुत्री (छात्रवृत्ति की शामिल राशि ₹ 5,000)	*10,000*
द्वितीय पुत्री	*8,500*
तृतीय पुत्री (धारा 80U अनुसार दिव्यांग)	*4,500*
पुत्र	*40,000*

श्री मित्तल ने पुत्र को ₹ 2 लाख उपहार में दिए जिसे निवेश कर ₹ 20,000 अर्जित किए जो उसकी आय का भाग हैं।

अवयस्कों को द्वारा अर्जित आय जो मित्तल की कुल आय में शामिल योग्य हो, की गणना कीजिए।

12. *श्रीमान धवल की वेतन से आय ₹ 3,50,000 है तथा उसके अवयस्क बच्चों की आय निम्नानुसार है–*

विवरण	*₹*
अवयस्क पुत्री की आय	
TV शो से अर्जित	*50,000*
बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज (धवल द्वारा अपनी आय में से जमा)	*5,000*
अवयस्क पुत्र की निम्नलिखित आय	
स्वयं की पेंटिंग की बिक्री से आय	*10,000*
बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज (धवल द्वारा अपनी आय से जमा)	*1,000*

धवल की सकल कुल आय निकालिए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

13. श्री धवल व उसकी पत्नी हेतल की सूचना

	विवरण	*₹*
(i)	*श्रीमती हेतल की वेतन से आय (संगणित)*	*4,60,000*
(ii)	*अवयस्क पुत्र B जो 80U में दिव्यांगता से पीड़ित है*	*10,8,000*
(iii)	*अवयस्क पुत्री C की गायन से आय*	*86,000*
(iv)	*श्रीमान धवल के पेशे की आय (संगणित)*	*7,50,000*
(v)	*श्रीमती हेतल के मित्र से C को गायन प्रतियोगिता में नकद इनाम 2.10.2018 को प्राप्त*	*48,000*
(vi)	*कम्पनी निक्षेप से अवयस्क पुत्री A को आय*	*30,000*

धवल व हेतल की A.Y. 2020-21 की कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर (Answer)

1. (a), **2.** (b), **3.** (a), **4.** (d), **5.** (a), **6.** (d), **7.** (a), **8.** (b), **9.** (a), **10.** (b), **11.** ₹ 49,000 **12.** ₹ 3,53,500

13. धवल ₹ 7,78,500, हेतल ₹ 4,60,000

© The Institute of Chartered Accountants of India